सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या – 473 राँची, बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 (ई०)

परिवहन विभाग

(लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा)

अधिसूचना

23 सितम्बर, 2022

ज्ञापांक- गुड सेमेरिटन-30/2021-स.सु./407 --सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सीय सहायता करने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 101 (6) दिनांक 09.02.2021 के द्वारा Jharkhand Good Samaritan Policy, 2020 को अधिसूचित किया गया है।

2. Jharkhand Good Samaritan Policy, 2020 की कंडिका-6 में गुड सेमेरिटन (नेक नागरिक) को उनके द्वारा किये गये व्यय की क्षतिपूर्ति तथा उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।

3. गुड सेमेरिटन (नेक नागरिक) को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें प्रदान किये जाने वाले Reward एवं Appreciation को, बिना दूसरी बार आये तथा न्यूनतम समय में हस्तान्तरित करने हेतु Standard Operating

Procedures बनाने का निर्णय दिनांक 18.02.2021 को सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिया गया है।

4. गुड सेमेरिटन एक ऐसा नेक व्यक्ति होता है जो सड़क दुर्घटना में किसी घायल व्यक्ति को बिना किसी विशेष संबंध के तथा वित्तीय लाभ या पुरस्कार की अपेक्षा किये बिना केवल दया भावना से सहायता प्रदान करता है।

5. गोल्डन आवर का तात्पर्य The Motor Vehicle Amendment Act, 2019 Section-2[12A] के आलोक में यथा परिभाषित दुर्घटना पश्चात् प्रथम एक घंटा की अवधि से है, जिसके दौरान तत्कालिक उपचार से घायल व्यक्ति की जीवन रक्षा की सर्वाधिक संभावना रहती है।

6. उपर्युक्त के आलोक में गुड सेमेरिटन (नेक नागरिक) को प्रदान किये जानेवाले Reward एवं Appreciation की मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedures) निम्नवत् निर्धारित की जाती है -

(i) गुड सेमेरिटन को प्रदान किये जाने वाली प्रोत्साहन राशि आदि के लिये लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रथमतः प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
₹ 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र की दर से सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को
सड़क सुरक्षा कोष से आवंटित की जायेगी।

(ii) जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त राशि बिना किसी विलंब के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। इस राशि का उपयोग Jharkhand Good Samaritan Policy, 2020 के नियमानुसार संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा गुड सेमेरिटन (नेक नागरिक) को प्रोत्साहन राशि, पुलिस थानों में पूछताछ अथवा न्यायालय में गवाही के लिए बुलाये जाने पर किराये के वाहन के उपयोग के मामले में भुगतान आदि प्रदान करने हेतु किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध करायी गई यह राशि बैंक खाते में संधारित रहेगी।

(iii) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा इस राशि के लिए एक अलग से नियमानुसार रोकड़ पंजी का संधारण किया जायेगा तथा कार्यालय के अंकेक्षण के साथ इसका भी अंकेक्षण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर में नजदीकी अस्पताल में पहुँचाने वाले व्यक्ति को गुड सेमेरिटन (नेक नागरिक) मानते हुए अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा Jharkhand Good Samaritan Policy, 2020 में निर्धारित Annexure-II में आवश्यक सूचनायें दर्ज करते हुए अभिप्रमाणित कर एक घंटे के अंदर एक प्रति अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को एवं दूसरी प्रति उस गुड सेमेरिटन (नेक नागरिक) को उपलब्ध कराई जायगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी अस्पताल Jharkhand Good Samaritan Policy, 2020 के क्रियान्वयन के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बद्ध माने जायेंगे।

(v) हस्ताक्षरित प्रपत्र को अस्पताल के द्वारा संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उसी दिन जमा किया जायेगा। उक्त Annexure-II को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उसी दिन जिला परिवहन पदाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस को इसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर वापस करेंगे। स्वीकृत मामलों में

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा नियामानुकूल राशि एवं प्रोत्साहन पत्र उसी दिन गुड सेमेरिटन (नेक नागरिक) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। गुड सेमेरिटन (नेक नागरिक) के द्वारा बैंक खाता के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराये जाने पर संबंधित प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जायेगी। गुड सेमेरिटन (नेक नागरिक) द्वारा बैंक खाता के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने पर यह राशि नगद भी प्रदान की जा सकेगी।

(vi) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा गुड सेमेरिटन (नेक नागरिक) से प्राप्त प्रपत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए प्रत्येक माह के अंत तक जिला परिवहन कार्यालय को समेकित प्रतिवेदन सहित उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित राशि के समाप्त होने की संभावना प्रतीत होने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा जिला परिवहन कार्यालय को अतिरिक्त राशि के आवंटन हेतु मांग पत्र प्रेषित किया जायेगा।

(vii) जिला परिवहन कार्यालय द्वारा इस मद में प्राप्त राशि के समाप्त होने की संभावना प्रतीत होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ पुनः लीड एजेन्सी से राशि विमुक्ति हेतु ससमय अनुरोध किया जायेगा जिसे बिना विलंब के नियमानुसार आवंटित किया जायेगा।

(viii) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा गुड सेमेरिटन (नेक नागरिक) के संबंध में प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ix) जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से गुड सेमेरिटन (नेक नागरिक) के संबंध में प्रतिवेदन को प्राप्त कर प्रत्येक माह के 07 तारीख तक लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा, झारखण्ड, राँची को समेकित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

(x) गुड सेमेरिटन (नेक नागरिक) को पुलिस थाने में पूछताछ अथवा न्यायालय में गवाही के लिये बुलाये जाने पर प्रति दिन ₹ 1,000/- (एक हजार रूपये मात्र) की दर से राशि का भुगतान गुड सेमेरिटन द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुरूप उनके बैंक खाते में किया जायेगा। इसका भुगतान भी संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

7. परिवहन विभाग, झारखण्ड द्वारा गुड सेमेरिटन (नेक नागरिक) को प्रदान किये जानेवाले Reward एवं Appreciation की उपर्युक्त मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedures) के सुगम क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार निर्देश जारी किये जा सकेंगे।

8. उपर्युक्त पर माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

9. उपर्युक्त पर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड की सहमति प्राप्त है।

10. उपर्युक्त पर माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

11. विदित हो कि एतदर्थ पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-गुड सेमेरिटन-30/ 2021-स.सु./378, दिनांक-30.08.2022 को विभागीय अधिसूचना संख्या-406, दिनांक-23.09.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनुलग्नक: Jharkhand Good Samaritan Policy, 2020

श्री कमल किशोर सोन,

सचिव,

परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 473 – 50